न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 47/2023

अपीलार्थी– *बनाम* **उत्तरदाता–**

घेवरसिंह पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी मेहराजोणियों की बेरी तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.07.2023 जो सरकार बनाम घेवरसिंह के प्रकरण सं. 52/2023 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 25.11.2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22 के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 52/2023 सरकार बनाम घेवरसिंह मे पारित निर्णय दिनांक 28.07.2023 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रवर्तन निरीक्षक बायतु द्वारा दिनांक 11.03.2023 को अपीलार्थी घेवरसिंह की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण [illegible] की उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई। मौके पर मौजूद [illegible] कि माह फरवरी 2023 मे उचित मूल्य दुकानदार द्वारा नए जोडे [illegible]नकार्डों को एक मा[illegible]राशन

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:21 IST
Reason: SelfAttested

दिया लेकिन ऑनलाईन रिकार्ड जांचने पर पाया कि इन राशनकार्डों से माह फरवरी में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा तीन माह का गेंहू निकाला गया व उपभोक्ताओं को एक माह का ही गेंहू दिया। इस प्रकार उपभोक्ताओं को एक माह का गेंहू देकर दो माह के गेंहू का गबन किया गया। इस पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकानदार का अनुज्ञा पत्र आदेश दिनांक 20.03.2023 के द्वारा निलम्बित करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी को जवाब हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में प्रकरण मे सुनवाई करते हुए अधिनस्थ अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.08.23 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर कर उत्तरदाता को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थी के उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर प्रतिभूति राशि को जब्त करने मे विधि एवं तथ्यात्मक भूल की गई है, जिससे उक्त आदेश खारिज योग्य है।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ अधिकारी द्वारा की गई [illegible] पक्ष रखने का कोई समुचित अवसर प्रदान [illegible] द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक बायतु की एकपक्षीय [illegible] अपीलाधीन कार्यवाही की गई हैं जबकि उपभोक्ताओं की ओर से अपील[illegible] के विरूद्ध राशन सामग्री के

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

वितरण के संबंध में किसी प्रकार की कोई लिखित शिकायत नहीं हैं। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जिन उपभोक्ताओं को गेंहू वितरण संबंधी गबन का तथ्य अंकित किया है उनके बया नही नहीं लिये गये हैं। वक्त निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन में गेंहू व अन्य सामग्री का स्टॉक सही पाया गया था तथा किसी प्रकार का अंतर नहीं था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में उल्लेखित शिकायतकर्ता एवं ग्रामवासियों द्वारा अपीलांट की सेवा से संतुष्ट होने का लिखित प्रतिवेदन पेश किया गया हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने में आम एवं मौजिज व्यक्तियों के कथन के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में तथ्यों एवं विधि की भारी भूल की हैं। अतः अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा विभागीय प्रकरण सं. 52/2023 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.07.2023 को अपास्त फरमाया जावें एवं अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र सं. 96/2017(बी) को पुनः बहाल करने का आदेश फरमावें।

5. उत्तरदाता की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री के वितरण में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन निरीक्षक बायतु द्वारा जांच की गई। वक्त निरीक्षण अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई। इसके अलावा अपीलार्थी के द्वारा उपभोक्ताओं को एक माह का गेंहू देकर ऑनलाईन तीन माह का इन्द्राज करते हुए गेंहू के गबन की प्रमुख अनियमितताऐं पाई गई तथा उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर विभागीय निर्देशों एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने से अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर, कारण बताओं नोटिस जारी किया गया एवं अपीलार्थी की ओर से प्रतिरक्षण में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं पाये जाने पर प्रकरण के तथ्यों एवं [illegible] अधिनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण मे पाई गई गम्भीर अनियमितताऐं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

विनिमय) आदेश 1976 के विभिन्न खण्डों एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 18 का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसमे किसी प्रकार कोई विधि या तथ्य की भूल नही की गई है तथा इस आदेश के विरूद्ध यह प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार के अभिकथनों मनन किया जिससे यह पाया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक बायतु द्वारा दिनांक 11.03.2023 को अपीलार्थी घेवरसिंह की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई। मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं द्वारा बताया कि माह फरवरी 2023 मे उचित मूल्य दुकानदार द्वारा नए जोडे राशनकार्डों को एक माह का राशन दिया लेकिन ऑनलाईन रिकार्ड जांचने पर पाया कि इन राशनकार्डों से माह फरवरी में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा तीन माह का गेंहू निकाला गया व उपभोक्ताओं को एक माह का ही गेंहू दिया। इस प्रकार उपभोक्ताओं को एक माह का गेंहू देकर दो माह के गेंहू का गबन किया गया। इस पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकानदार का अनुज्ञा पत्र आदेश दिनांक 20.03.2023 के द्वारा निलम्बित करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी को जवाब हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में प्रकरण मे सुनवाई करते हुए अधीनस्थ अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ रसद अधिकारी के समक्ष संस्थित विभागीय कार्यवाही एवं प्रवर्तन निरीक्षक

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

की जांच के दौरान प्रकट नहीं किये गये तथा न ही कारण बताओं नोटिस का संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत किया गया हैं। इस अपील के द्वारा जो तथ्य प्रकट किये गये हैं वो अधीनस्थ कार्यालय की विभागीय जांच कार्यवाही में उपलब्ध साक्ष्य अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में बलहीन हैं। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर निरीक्षण के दौरान उपभोक्ताओं के द्वारा ही प्रस्तुत साक्ष्यों राशनकार्डों के आधार पर अनियमितता की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। अधीनस्थ कार्यालय द्वारा विभागीय जांच पूर्ण कर अपीलाधीन आदेश पारित करने के पश्चात इस अपील में उपभोक्ताओं के शपथ–पत्र प्रस्तुत कर उक्त आक्षेपों की पूर्ति की गई हैं। इससे स्पष्ट हैं कि अपीलार्थी ने जानबूझकर अपनी अनियमितताऐं छिपाने के लिए प्रथम तो जवाब प्रस्तुत नहीं किया, तदुपरांत इस अपील में जो शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जो संतोषजनक प्रतीत नही होते हैं। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ कार्यालय जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2023 यथावत बहाल रखा जाता हैं तथा जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलार्थी द्वारा किये गये गबन से राज्य सरकार को हुई राजस्व ही हानि के लिये वसूली हेतु शीघ्र सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर वसूली की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:21 IST
Reason: SelfAttested